RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई, सोमवार 03 नवंबर 2025 वर्ष 07 अंक 198 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित...

Page - 2

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हो गया खेल...

उद्धव की शिवसेना से मिल गई अजित पवार की NCP, संकट में एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां सत्ताधारी महायुति (फडणवीस-शिंदे-अजित पवार सरकार) और विपक्षी महाविकास आघाडी दोनों ही अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं. इसी बीच, एक बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है.

खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के साथ आघाड़ी (गठबंधन) करने की औपचारिक घोषणा की है. यह निर्णय रायगढ़ जिले के कर्जत में हुई एक अहम बैठक में लिया गया. इस बैठक के बाद अब यह तय हो गया है कि जिले में आगामी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद चुनावों में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

रायगढ़ में शिंदे गुट बनाम अजित पवार गुट की टक्कर

रायगढ़ में पिछले कुछ समय से शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी है. इस विवाद को पालकमंत्री पद के विवाद ने और भी तीखा बना दिया है. राष्ट्रवादी के सांसद सुनील तटकरे और शिंदे

गुट के नेता भरत गोगावले के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. वहीं, कर्जत क्षेत्र में भी शिंदे गुट और अजित पवार गुट के नेताओं में तीव्र मतभेद देखे गए थे.

बैठक में तय हुई नई रणनीति

शनिवार को रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित बैठक में दोनों दलों के प्रमुख नेता एकजुट हुए और एकसाथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया. बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुधाकर घारे, भरत भगत, अशोक भोपतराव, दीपक श्रीखंडे, और शिवसेना (उद्धव गुट) के उपजिल्हा प्रमुख नितिन सावंत, भिवसेन बडेकर, प्रदीप ठाकरे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

पिछले चुनावों से सबक

पिछले चुनाव में सुधाकर घारे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, नितिन सावंत ने उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे. अब दोनों नेताओं ने मिलकर आगामी चुनाव में संयुक्त रूप से मैदान में उतरने का निर्णय लिया है. उनका मानना है कि एकजुट होकर वे बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं. इस गठबंधन के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के सामने अब रणनीति को नए सिरे से तैयार करने की चुनौती होगी. रायगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में यह गठबंधन आगामी चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है.

मुंबई : दो भाइयों को युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सजा

मुंबई : सेशन कोर्ट ने दो भाइयों - विक्की ससाने (25) और प्रमोद ससाने (24) - को एक युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस युवक ने अक्टूबर 2021 में एक लड़ाई में बीच-बचाव किया था और अपने दोस्तों को आरोपियों के ग्रुप के हमले से बचाया था। घटना जीजामाता नगर अळ्ट के पास हुई प्रॉसिक्यूशन के केस के मुताबिक, कॉलेज स्टूडेंट आमिर खान की शिकायत पर वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आमिर खान और उसके दोस्त झ अर्जन खान, अर्शिल हुसैन और फैजान खान झ 18 अक्टूबर 2021 को रात करीब 12:15 बजे जीजामाता नगर में एक **ATM** सेंटर गए थे।

किसान ने तुरंत इंश्योरेंस का मुआवजा देने की मांग करते हुए मरी हुई भैंस को बैंक के बाहर रख किया नाटकीय विरोध प्रदर्शन

पालघर : ज़िले में एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस को दखल देना पड़ा। एक किसान ने तुरंत इंश्योरेंस का मुआवजा देने की मांग करते हुए अपनी मरी हुई भैंस को एक सरकारी बैंक के बाहर रख दिया। पुलिस ने रविवार को बताया कि बैंक अधिकारी के यह भरोसा दिलाने के बाद कि मुआवजा एक महीने के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा, किसान ने शनिवार को अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया, जो लगभग 10 मिनट तक चला। विरोध प्रदर्शन के वीडियो, जिसमें भैंस का शव बैंक के गेट के बाहर पड़ा दिख रहा था, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे इंश्योरेंस क्लेम में देरी पर बहस छिड़ गई, जिससे किसानों पर कर्ज. और नुकसान का बोझ बढ़ जाता है। ज़िले के टाकपाड़ा गांव के पशुपालक नवसू दिघा ने 2022 में बैंक की मोखाड़ा ब्रांच से 12 लाख

रुपये का लोन लेकर 10 दूध देने वाली भैंसें खरीदी थीं। जानवरों का इंश्योरेंस कराने के बावजूद, उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन सालों में मरी हुई दो भैंसों के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। शनिवार को, दिघा एक ट्रैक्टर पर भैंस का शव लेकर आए और गाड़ी को स्थानीय बैंक ब्रांच के बाहर पार्क कर दिया। दिघा ने दावा किया, ''अपनी भैंसों का इंश्योरेंस कराने के बाद भी मुझे मुआवजे के तौर पर एक रुपया भी नहीं मिला है। बैंक की लापरवाही की वजह से हम किसानों को धोखा दिया जा रहा है।''

उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी, ''अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए गए, तो मैं मरी हुई भैंस को यहीं छोड़ दूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, बैंक इसे अपने पास रखे।'' स्थानीय किसान नेता और राजनीतिक प्रतिनिधि भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भीड़ को कंट्रोल करने और शांति बनाए रखने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाया गया। बैंक के एक सीनियर अधिकारी ने दखल दिया और लिखित आश्वासन दिया कि दिघा और अन्य प्रभावित किसानों को इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 31 दिनों के अंदर मुआवजा प्रोसेस करके दे दिया जाएगा। आश्वासन के बाद, दिघा और अन्य किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया, और उन्होंने कसम खाई कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। मोखाड़ा के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमनाथ ढोले ने बताया कि बैंक द्वारा ''लिखित आश्वासन'' देने के बाद स्थिति शांत हो गई और किसान अपनी मरी हुई भैंस के साथ वापस चला गया।

ठाणे : आयशर टेंपो से लाखों का अवैध गुटखा तंबाकू बरामद

ठाणे : ठाणे पुलिस ने एक आयशर टेंपो क्रमांक डीडी 01 एसी 9164 से लाखों रुपए का अवैध गुटखा तंबाकू बरामद किया है।कासर बढ़ावली इस मामले में टेंपो चालक विरार पूर्व टोकरे पाड़ा अमूल डेयरी के निकट रहने वाले जगराज सिंह जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया है।

ठाणे पुलिस आयुक्तालय के पीआरओ शैलेश साल्वी ने आज बताया कि कासर बढ़ावली के सहायक पुलिस निरीक्षक राजेंद्र भालेराव जब घोड़बंदर रोड नागलाबंदर पर 30 अक्टूबर को सुबह ढाई बजे अपने सहयोगी सहायक पुलिस निरीक्षक जोगदंड, पुलिस उप निरीक्षक हांगे के साथ गस्त कर रहे थे एक संदिग्ध टेंपो की तलाशी लेने पर 120 से 130नए कपड़े की गांठे, और तंबाकू गुटखा के बैग जिनमें १६ लाख 35हजार 640 रुपए के अलावा ग्यारह लाख छह हजार ६१३ रुपए को नए कपड़े की गठानें तथा तीस लाख पचास हजार का आयशर टेंपो सहित ५८ लाख 12हजार 253रुपए का सामान बरामद किया है।यह कार्यवाही वागले इस्टेट पुलिस क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम,वर्तक नगर सहायक पुलिस आयुक्त मंदार जवले तथा कासर बढ़ावली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक निवृति कोल्हटकर के मार्ग दर्शन में की गई।

संपादकीय...

रेवड़ियां बांटने पर फोकस...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

चुनावों के अवसर पर राजनीतिक दलों की ओर से जारी किए जाने वाले घोषणा पत्रों को लेकर उत्सुकता अवश्य रहती है, लेकिन यह कहना कठिन है कि चुनाव उन्हीं के जरिये जीते-हारे जाते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि घोषणा पत्रों में किए गए वादों के आधार पर किसी दल को जीत हासिल हुई हो। इसका कारण यह है कि अब घोषणा पत्र लोकलुभावन वादों का पुलिंदा बनकर रह गए हैं। उनमें ऐसे तमाम आकर्षक वादे होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों के लिए पूरा करना संभव नहीं होता। हाल के समय में कई राज्यों में यह देखने को मिला है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र के जिन वादों के साथ सत्ता में आए, उन्हें वे पूरा नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि राज्य विशेष की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी।

कुछ राज्यों में तो यह भी देखने को मिला कि राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र के वादों को आधे-अधूरे ढंग से पूरा किया या फिर उन्हें पूरा करने की घोषणा करने के बाद ठिठक गए। जिस तरह घोषणा पत्र जारी करना कानूनी बाध्यता नहीं है, उसी तरह उनमें किए गए वादों को पूरा करना भी अनिवार्य नहीं है। इसका नतीजा यह है कि अब घोषणा पत्र रेवड़ियां बांटते दिखते हैं। यह ध्यान रहे कि रेवड़ियां वास्तविक विकास में बाधक ही बनती हैं। बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्रों में अनेक ऐसे वादे हैं, जो कुल मिलाकर लोकलुभावन ही हैं। राजनीतिक दल घोषणा पत्रों में लोगों को लुभाने वाले तमाम वादे तो कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा? इसका एक कारण यह है कि आम जनता घोषणा पत्रों के वादों को लेकर ऐसे सवाल कभी नहीं पूछती कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य रखती है? जिस दिन जनता यह जानने की कोशिश करने लगेगी, घोषणा पत्र गंभीरता के साथ तैयार किए जाने लगेंगे। जनता की ओर से राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरें।

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबईः पति और ससुराल वालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण 23 वर्षीय महिला ने जहरीली दवा खाकरकर ली आत्महत्या...

मुंबईः 23 वर्षीय हजीरा खातून नामक महिला ने 29 अक्टूबर को घाटकोपर (पश्चिम) स्थित अपने घर पर जहरीली दवा खाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि अपने पति और ससुराल वालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने यह कदम उठाया। पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत घाटकोपर पुलिस ने हजीरा के भाई गुलाम मोहम्मद हनीफ मोहम्मद रसूल की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान हजीरा के पति मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद हलीम (25), उसकी ननद सबाना और ससुर मोहम्मद हलीम मोहम्मद बशीर खान के रूप में हुई है। शादी का विवरण और शुरूआती विवादः एफआईआर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर निवासी गुलाम रसूल के चार भाई और चार बहनें हैं, जिनमें हजीरा भी शामिल है। 2 दिसंबर, 2023 को उनकी शादी मोहम्मद इम्तियाज से हुई, जो अपने परिवार के साथ हिमालय सोसाइटी, मिलिंद नगर, घाटकोपर (पश्चिम) में रहते हैं। इम्तियाज एक सहायक के रूप में काम करते हैं, जबकि उनके पिता एक किराने की दुकान चलाते हैं।

शुरूआत में, हजीरा का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन जल्द ही घरेलू मुद्दों को लेकर उनके और उनके ससुराल वालों के बीच विवाद शुरू हो गए। कथित तौर पर उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि उनके भाई उन्हें उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक स्थान वापस ले आए। पति के आश्वासन के बाद मुंबई वापसी वहाँ एक साल से ज्यादा समय तक रहने के बाद, इम्तियाज ने परिवार को आश्वासन दिया कि आगे कोई विवाद नहीं होगा और हजीरा को वापस मुंबई बुला लिया। बाद में, जब वह गर्भवती हुईं, तो अपने पति के घर लौटने से पहले वह कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के साथ रहीं। पैसों की मांग को लेकर नए उत्पीड़न का आरोप ससुराल लौटने पर, उसके पति, ससुर और ननद ने कथित तौर पर पारिवारिक मामलों और अपने माता-पिता के घर से पैसे न लाने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता की मृत्यु और शिकायत दर्ज 29 अक्टूबर की दोपहर, जब गुलाम रसूल गुजरात के वापी में थे, उन्हें दोपहर लगभग 2:30 बजे इम्तियाज का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि हजीरा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और सायन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जब रसूल ने अपनी बहन से मिलने के लिए वीडियो कॉल करने की माँग की, तो इम्तियाज ने कथित तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि हजीरा वेंटिलेटर पर है और उसे दिखाया नहीं जा सकता। उसी रात, लगभग 8:30 बजे, इम्तियाज ने रसूल को फिर से फोन करके बताया कि हजीरा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गुलाम रसूल अपने परिवार के साथ तुरंत मुंबई के सायन अस्पताल पहुँचे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज अपनी बहन की मौत के बाद, गुलाम रसूल ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

नवी मुंबई में एक नया हज हाउस बनकर तैयार होगा

नवी मुंबई : जल्द ही खारघर , नवी मुंबई में एक नया हज हाउस बनकर तैयार होगा। यह परियोजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हज बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के चल रहे प्रयासों में एक बड़ा कदम है , मंत्रालय ने बताया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चन्द्र शेखर कुमार ने भारतीय हज समिति (एचसीओआई) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ खारघर में नए हज हाउस के प्रस्तावित स्थान का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान, सचिव ने आगामी सुविधा के लेआउट और डिजाइन योजना की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों के साथ परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरे में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और सुविधाओं पर भी चर्चा हुई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया हज हाउस हज यात्रियों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।इससे पहले, सचिव ने मुंबई में भारतीय हज समिति, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुंबई स्थित मौजूदा हज हाउस के संरचनात्मक ऑडिट और सुधार सहित हज 2026 की चल रही तैयारियों पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरक्षित और निर्बाध तीर्थयात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में कुछ अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) और प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) की समीक्षा भी शामिल थी।सचिव ने समय पर कार्यान्वयन, इष्टतम संसाधन उपयोग और अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले मापनीय परिणामों के महत्व पर भी जोर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है, ''अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हज संचालन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखे हुए है, साथ ही देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समावेशी विकास और सशक्तिकरण पहल को आगे बढ़ा रहा है।''

मुंबई : कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित...

दो सप्ताह के भीतर मामले की सूचना स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक निदान किए गए मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ''इस कदम का उद्देश्य निगरानी को मजबूत करना, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना और उपचार में देरी के कारण होने वाली विकलांगता को रोकना है।'' कुष्ठ रोग अब एक 'अधिसूचित रोग' है, प्रत्येक मामले की राज्य को तुरंत सूचना देनी होगी नए निर्देश के अनुसार, डॉक्टरों, रोग

विशेषज्ञों और सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्वास्थ्य संस्थानों को मामलों का रिकॉर्ड रखना होगा और रोगियों के निकट संपर्कों को समय पर पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (पीईपी) देना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा, ''संक्रमण को कम करने और ग्रेड 2 विकृतियों को कम करने के लिए शीघ्र निदान और उपचार पूरा करना महत्वपूर्ण है।'' अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राज्य के '2027 तक कुष्ठ मुक्त महाराष्ट्र' के लक्ष्य का हिस्सा है। वर्तमान में, राज्य में 13,010 मरीज उपचाराधीन हैं और इस वर्ष सितंबर 2025 तक 7,863 नए मामले सामने आए। 2023-24 में, 20,001 नए मामले दर्ज किए जाएँगे, जबकि 2015-16 में 15,695 नए मामले दर्ज किए गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि किसी नए प्रकोप के बजाय गहन जाँच अभियानों को दशार्ती है। पनवेल स्थित कुष्ठरोग निवारण समिति के कार्यकारी समिति सदस्य उदय ठाकर ने कहा, ''जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, वे मुख्यतः सरकारी और निगम अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्राप्त उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित होती हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''निजी उपचार की बात करें तो यह स्पष्ट नहीं है कि मरीज कौन हैं या उनका इलाज कहाँ हो रहा है, इसलिए कुष्ठ रोग के कुल मामलों की सही गणना नहीं की जा सकती।

मुंबई : सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का अपहरण; भाई से ₹2 लाख की फिरौती मांगी, 3 कॉलेज छात्र गिरफ्तार

मुंबई : 35 वर्षीय गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का तीन लोगों ने अपहरण किया और उसके भाई से ₹2 लाख की फिरौती मांगी। पीड़ित के भाई द्वारा तुरंत एमआईडीसी पुलिस को सूचित करने पर तीनों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने फिर उनका पता लगाया। एमआईडीसी पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान रेहान शेख (18), रूपेश यादव (20) और आमिर मिर्जा (23) के रूप में की है। ये सभी पवई के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि शेख और यादव अभी भी अंधेरी के एक कॉलेज में छात्र हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित, हड़मानराम बिश्नोई, जो अंधेरी पूर्व में अंजलि गैस सर्विस एजेंसी में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता था, को आरे कॉलोनी में एक सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसके परिवार ने ₹2 लाख की फिरौती नहीं दी, तो वे उस पर सिलेंडर से गैस चोरी करने का आरोप लगाकर उसकी शिकायत कर देंगे। अंधेरी पूर्व के आदर्श नगर निवासी बिश्नोई की अपने अपहरणकताओं से पहली मुलाकात 26 अगस्त को हुई थी, जब उन्होंने उसे अंधेरी के उत्तम ढाबे के पास रोका था। उस समय भी उन्होंने उसे गैस सिलेंडर चोरी करने की शिकायत करने की धमकी दी थी और उसे आरे कॉलोनी पिकनिक पॉइंट ले गए थे। उस समय उन्होंने उसके बैंक खाते से ₹83,000 ट्रांसफर करवाए, ₹12,000 नकद वसूले, और उसे तभी जाने दिया जब उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसने उन्हें ₹50,000 और भेजे।

पुलिस के अनुसार, इसके बाद आरोपी उसे अंधेरी पूर्व के आरे कॉलोनी रोड स्थित फिल्टरपाड़ा ले गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने उसकी जेब से ₹1,300 नकद ले लिए और उसे छोड़ने के बदले ₹2 लाख की मांग की।'' उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों ने उसे अपने भाई सागर बिश्नोई और अन्य दोस्तों को फोन करके नकदी का इंतजाम करने को कहा। सागर ने तुरंत एमआईडीसी पुलिस से संपर्क किया और जल्द ही तीनों आरोपियों का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, ''हमने उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (अपहरण), 308 (जबरन वसूली) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।''

मीरा-भायंदर की झुग्गी बस्तियों में फैल रहा नशे का कारोबार

पुलिस कार्रवाई के बाद भी बेखौफ नशेड़िए सक्रिय...

भायंदर। मीरा-भायंदर शहर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद शहर में नशा आसानी से उपलब्ध है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नशे का यह कारोबार झुग्गी-झोपड़ियों में तेजी से पांव पसार रहा है। हाल ही में डाचकुलपाडा में हुई घटना के तार भी इसी नशे के जाल से जुड़े होने की बात बताई जा रही है।

भायंदर पश्चिम के जय अंबे नगर-1, गणेश देवल नगर, शास्त्री नगर, भोला नगर सहित शहर की कई झोपड़पट्टियों में हर प्रकार का नशा खुलेआम बेचा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, इन क्षेत्रों में पहले भी पुलिस द्वारा कई बार छापेमारी की गई है, लेकिन गिरफ्तार किए गए आरोपी जेल से बाहर आते ही दोबारा नशे का धंधा शुरू कर देते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब ये नशे के कारोबारी अपने काम में छोटे-छोटे बच्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं।

सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत...!

मुंबई। गोवंडी इलाके में सड़क पार कर रहे एक रिक्शा चालक को दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई। देवनार पुलिस ने इस संबंध में एक अज्ञात दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस हादसे में मरने वाले रिक्शा चालक की पहचान सायब पठान (26) के रूप में हुई है और वह गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके में रहता था। सायब पिछले कई सालों से इसी इलाके में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। सायब आधी रात को अपना रिक्शा सड़क किनारे खड़ा करके अपने एक दोस्त के साथ घर जा रहा था। सड़क पार करते समय उसे एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद दोपहिया वाहन चालक दोपहिया वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सायब को उसके दोस्त ने तुरंत गोवंडी के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया।

ठाणे में 58 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त... एक आरोपी गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सुगंधित सुपारी व तंबाकू (गुटखा) की अवैध बिक्री और भंडारण पर रोक के बावजूद इसका कारोबार जारी है। इसी के तहत कासरवडवली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 58 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, कपड़े और टेम्पो जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कासरवडवली परिवहन उप-विभाग के उपनिरीक्षक राजेंद्र भालेराव नागला बंदर, घोड़बंदर रोड पर ड्यूटी पर थे, तभी उन्होंने संदिग्ध आयशर टेम्पो (क्र. डीडी/01/एसी/9164) को रोका। जांच के दौरान टेम्पो में कपड़ों की गांठों से गुटखे जैसी गंध आने पर वाहन को पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ में चालक जगराज सिंह जसबीर सिंह खैरा (निवासी विरार पूर्व) ने स्वीकार किया कि कपड़ों के बीच गुटखा छिपाया गया है।

टेम्पो की तलाशी में सुधा प्लस, एसकेएन, नवी चेन जैसी कंपनियों के सुगंधित सुपारी और तंबाकू के पैकेट मिले, जिनकी कीमत 16,55,640 रुपये थी। गुटखा छिपाने के लिए उपयोग किए गए 11,06,613 रुपये के नए कपड़े और 30,50,000 रुपये के टेम्पो सहित कुल 58,12,253 रुपये का माल जब्त किया गया। इस मामले में कासरवडवली पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय दंड संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय ने उसे 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

कल्याण निवासी एक 33 वर्षीय व्यक्ति 400 बोतल अवैध कफ सिरप रखने के आरोप में गिरफ्तार...

कल्याण : ठाणे स्थित जोन 3 डीसीपी कार्यालय की एक पुलिस टीम ने कल्याण निवासी एक 33 वर्षीय व्यक्ति को 400 बोतल अवैध कफ सिरप रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत चार महीने पहले किए गए इसी तरह के एक अपराध के लिए हाल ही में जमानत पर रिहा हुए आरोपी को नियमित गश्त के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जोन 3 कार्यालय की एक पुलिस टीम ने कल्याण में एक 33 वर्षीय व्यक्ति को 300 बोतल अवैध कफ सिरप रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। 1 नवंबर 2025 को भारत में शनिवार की तस्वीर - कप्तान माली द्वारा कहानी आरोपी की पहचान मोहम्मद मताब अनीस के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विशेष दस्ते ने कल्याण (पश्चिम) स्थित फोर्टिस अस्पताल के पास मोटरसाइकिल पर सवार अनीस को संदिग्ध व्यवहार करते देखा। घेराबंदी करने पर, टीम ने उसके पास से कोरेक्स सिरप की लगभग 400 बोतलें बरामद कीं। कोरेक्स में कोडीन फॉस्फेट होता है, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक नियंत्रित पदार्थ है। जब्त की गई बोतलों की अनुमानित कीमत ₹4 लाख है। कोडीन-आधारित सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन अक्सर इनके नशीले प्रभावों के कारण इनका दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस प्रतिबंधित पदार्थ के स्रोत और उसके संभावित प्राप्तकर्ता की जाँच कर रही है।

विशेष दस्ते के सहायक पुलिस निरीक्षक अनिल गायकवाड़ ने बताया कि कल्याण के बाजारपेठ पुलिस थाने ने अनीस के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी) (किसी भी मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद आदि) और धारा 22(बी) (सी) (व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखना) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा, ''आरोपी को कल्याण न्यायालय में पेश किया गया और उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।''

मुंबई : शीना बोरा हत्याकांड के चार गैर-सूचीबद्ध अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति...

मुंबई : एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को 2012 में हुई शीना बोरा हत्याकांड के चार गैर-सूचीबद्ध अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। ये वही जेलर हैं जिनकी मौजूदगी में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की लिखावट के नमूने और हस्ताक्षर एकत्र किए थे। गुरुवार को सीबीआई ने अदालत में आवेदन देकर चारों जेलरों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, क्योंकि मामले के एक जाँच अधिकारी इमरान आशिक ने अपनी गवाही में स्वीकार किया था कि उसने उनकी मौजूदगी में लिखावट के नमूने और हस्ताक्षर एकत्र किए थे। एजेंसी ने कहा कि वह गलती से अतिरिक्त गवाहों की सूची में चार जेलरों के नाम जोड़ना भूल गई थी। मुखर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रंजीत सांगले ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में खामियाँ बताए जाने के बाद गवाहों को पेश किया जा रहा है। सांगले ने तर्क दिया कि अतिरिक्त गवाहों को पेश करने की अनुमति देकर अदालत बचाव पक्ष के प्रति ''बेहद पक्षपातपूर्ण'' थी। उन्होंने आगे कहा कि यह सीबीआई द्वारा अनुचित सुनवाई का मामला होगा। हालांकि, विशेष न्यायाधीश जेपी दारेकर ने याचिका स्वीकार कर ली और कहा, ''न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को उन जेलरों से पूछताछ करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिनकी उपस्थिति में नमूने एकत्र किए गए थे।'' बचाव पक्ष की आपत्तियों का समाधान करते हुए, अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को गवाहों से जिरह करने का भी अवसर मिलेगा। अदालत ने आगे कहा कि गवाहों की योग्यता और निष्पक्षता का फैसला उनके साक्ष्य दर्ज करने के बाद किया जाएगा।

मुंबई : आरे के जंगलों में मलबा और मिट्टी डाले जाने की शिकायत; ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज

मुंबई : आरे के जंगलों में रहने वाले पर्यावरणविदों और आदिवासियों द्वारा जंगल के अंदर मलबा और मिट्टी डाले जाने की शिकायत के तीन दिन बाद, वन अधिकारियों ने मिट्टी साफ की और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायतों के तीन दिन बाद, वन अधिकारियों ने आरे में मलबा हटाया बुधवार को, इलाके के स्थानीय लोगों ने शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच जंगल के एक खाली इलाके में तीन ट्रक से ज्यादा मिट्टी और मलबा फेंका हुआ देखा। एक वन अधिकारी ने बताया कि अगली सुबह, जब वे जागे तो देखा कि मलबे और मिट्टी से लगभग 6,700 वर्ग फुट का इलाका समतल हो गया था। वन अधिकारी के पंचनामा के अनुसार, 30 मीटर गुणा 30 मीटर के क्षेत्र को 1.5 मीटर ऊँचा कर दिया गया था।

इसके बाद पर्यावरणविदों और आदिवासियों ने अधिकारियों से अवैध डंपिंग के बारे में कई शिकायतें कीं, जिसमें बताया गया कि जमीन को नुकसान पहुँचा है। शिकायतों के बाद, वन अधिकारियों ने एचटी को बताया, ''हमने डंप को साफ कर दिया है, उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत मलबा डंपिंग और आवास विनाश के प्रावधानों के

अनुसार डंपर ट्रकों के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।'' अधिकारी ने आगे कहा कि वे मामले की जाँच करेंगे और इस काम को करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पी-दक्षिण वार्ड की वन अधिकार समिति ने भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के अधिकारियों को एक पत्र लिखा। पर्यावरण कार्यकर्ता अमृता भट्टाचार्य ने कहा, ''हमने उस निर्माण कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जिसने जमीन को समतल किया, जबकि मुख्य वन्यजीव वार्डन के अनुमति पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पारिस्थितिकी को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।'' उन्होंने आगे कहा कि अवैध डंपिंग वन अधिनियम (1927) और वन संरक्षण अधिनियम (1980) का घोर उल्लंघन है। एक अन्य पर्यावरण कार्यकर्ता, निशांत बंगेरा ने कहा, ''ठेकेदार ने जोर देकर कहा कि उनके पास काम जारी रखने के लिए वन विभाग से अनुमति है।'' हालाँकि, उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अनुमति पत्र देखा है और उसमें जंगल में ट्रक भर मिट्टी डालने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। बंगेरा ने कहा, ''इससे इलाके की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी और हमें डर है कि इससे जंगल की नाजुक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचेगा।''

नवी मुंबई : 10 साल की बच्ची का यौन शोषण; 70 वर्षीय एनआरआई के चंगुल से छुड़ाया....

नवी मुंबई : नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी निरोधक इकाई (एएचटीयू) ने तलोजा के एक फ्लैट पर धावा बोलकर 10 साल की एक बच्ची को लंदन में रहने वाले 70 वर्षीय एनआरआई के चंगुल से छुड़ाया। यह व्यक्ति कथित तौर पर दो साल से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था और बच्ची की माँ ही इसमें मददगार

थी। पुलिस ने 10 साल की बच्ची को यौन शोषण से बचाया; 70 वर्षीय एनआरआई व्यक्ति और अपराध में मदद करने वाली उसकी माँ गिरफ्तार आरोपी, फारूक अलाउद्दीन शेख, जो ब्रिटेन में बसा एक सेवानिवृत्त प्रवासी भारतीय है, को बच्ची की माँ, जो खारघर के कोपरगाँव की एक घरेलू सहायिका है, के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला ने अपनी बेटी की मासूमियत को 2.5 लाख रुपये नकद और मासिक राशन के बदले बेच दिया, और जानबूझकर नाबालिग लड़की को वित्तीय मदद के बदले बार-बार शेख के फ्लैट में भेजती रही। एएचटीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी होने के बावजूद, आरोपी ने दो साल से ज्यादा समय तक उसका शोषण किया।'' ''27 और 28 अक्टूबर को, उसने उसे शराब पिलाई और कई बार उसके साथ मारपीट की। माँ, पूरी तरह से जागरूक होने के बावजूद, पैसों का जुगाड़ करती रही।'' शेख, जिसने दो साल पहले तलोजा के सेक्टर 20 में फ्लैट खरीदा था, कथित तौर पर उसकी माँ से तब मिला जब वह उसकी बिल्डिंग में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। भारत में उसकी नियमित यात्राएँ तब खतरनाक साबित हुईं जब उसने माँ को नकद मदद देकर बच्ची को बहलाना-फुसलाना शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर को मिली सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर कि कोपरगाँव की एक महिला अपनी 10 साल की बेटी को हर रात तलोजा के एक बुजुर्ग के पास भेज रही है, एएचटीयू की टीमों ने शेख के घर पर छापा मारा। उन्हें आरोपी के साथ सदमे में पड़ी बच्ची मिली।फ्लैट के अंदर, अधिकारियों को सेक्स टॉय, वियाग्रा की गोलियाँ और शराब की खाली बोतलें मिलीं।

अब स्थिति बदल गई है.. अपने हथियार छोड़ दो और मुख्यधारा में आ जाओ...

मल्लोजुला वेणुगोपाल 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण

गडचिरोली: माओवादियों की केंद्रीय समिति द्वारा निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, उग्र नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ अभय ने अपने 60 साथियों के साथ यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद, केंद्रीय समिति ने उन्हें 'देशद्रोही' कहा था। हालाँकि, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अंततः भूपति ने जिला पुलिस की मदद से इन सभी आरोपों का खंडन किया और एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने आंदोलन में सक्रिय माओवादियों से अपील की, 'अब स्थिति बदल गई है.. अपने हथियार छोड़ दो और मुख्यधारा में आ जाओ...'।

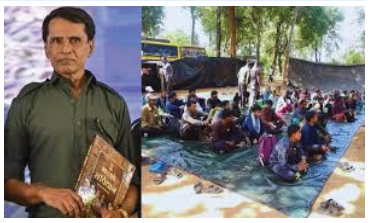

भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण के बाद, उग्र नेता रूपेश सहित 210 माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद, उग्र नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य पुल्लारी प्रसाद उर्फ चंद्रन्ना और तेलंगाना राज्य समिति के सदस्य बुंदी प्रकाश उर्फ प्रभात ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे माओवादी आंदोलन को गहरा धक्का लगा।

कल्याण में 400 कोरेक्स की बोतलों के साथ आरोपी गिरफ्तार...

कल्याण : मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल्याण पुलिस की एक बड़ी सफलता सामने आई है। बाजारपेठ थाना क्षेत्र में फोर्टीज अस्पताल के पास एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी लेने पर पुलिस ने 400 कोरेक्स की बोतलें बरामद कीं। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, कल्याण के परिमंडल-3 के उप पुलिस आयुक्त के विशेष आदेश पर सपोनी गायकवाड़ और उनकी टीम अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई के तहत गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक युवक मोटरसाइकिल पर कुछ

suspicious सामान लेकर जाते हुए दिखाई दिया। उसे रोककर जांच की गई तो उसके पास से 400 कोरेक्स की बोतलें बरामद हुईं, जिनकी कीमत करीब चार लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मताब अनिस रईस (33), निवासी 10/बी, गोल्डन प्लाजा, ओल्ड फिश मार्केट, मौलाना शौकत अली चौक, कल्याण पश्चिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक काले रंग की मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 60,000) और 3,660 नकद भी जब्त किए गए हैं। बाजारपेठ पुलिस थाने में इस मामले में गुन्हा क्रमांक 576/2025 दर्ज किया गया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 (क), 22(ब) (क) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी एमएफसी पुलिस थाने में गुन्हा क्रमांक 218/2025 अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 (क), 21 (ब) के तहत मामला दर्ज है।

कफ सिरप की अवैध बिक्री का भंडाफोड...98 विक्रेताओं को नोटिस, 19 लाख से अधिक का स्टॉक जब्त

ठाणे : कफ सिरप की अवैध बिक्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोंकण क्षेत्र के 98 दवा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें से 59 विक्रेता ठाणे जिले के हैं। एफडीए ने बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप बेचने पर 19 लाख 65 हजार 479 रुपए मूल्य के स्टॉक पर प्रतिबंध लगाया है। ठाणे जिले में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, जहां 17 लाख 79 हजार 673 रुपये का स्टॉक सील किया गया

है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहरीले तत्वों से युक्त कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ाई गई थी। इसी के तहत महाराष्ट्र में एफडीए ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए थे कि बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी कफ सिरप न बेचा जाए। इसके बाद ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। कुल 213 दुकानों की जांच में पाया गया कि 98 विक्रेता नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। एफडीए ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है। निरीक्षण के दौरान कफ सिरप के 125 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी लंबित है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क कार्यालय : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com
www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani